प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः–चौकी एसीबी कोटा **थाना** प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर

प्र0सू0रि0संख्या 59 / 2022 दिनांक 23/02/2022

2.(अ)अधिनियम–भ्र0नि0अधि0 2018 **धारायें** –7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018

(ब) अधिनियम.....भारतीय दण्ड संहिता **धाराये....** 120 बी

(स) अधिनियम...धारायें......................

(द)अन्य अधिनियम धारायें..

3.(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या...497.......................समय...6:00 pm

(ब)अपराध घटने का दिन–शुक्रवार दिनांक 21.02.2022 समय. 4.17 पीएम

(स)थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 17.02.2022

4.सूचना की किस्म लिखित/मौखिक– लिखित

5.घटनास्थलः– होटल वेलकम, रामगंज बालाजी, जयपुर कोटा रोड, बून्दी।

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–उत्तर दिशा, 35 किलोमीटर

(ब) पता बीट संख्या..................जरायम देही संख्या......................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना...जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नामः– श्री बनवारीलाल

(ब) पिता का नाम – श्री मांगीलाल

(स) जन्म तिथि/वर्ष... 30 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या – , जारी होने की तिथि – , जारी होने की जगह –

(र) व्यवसाय–होटल, संचालन

(ल)पता– ग्राम –झुवांसा, हाल होटल वेलकम, रामगंज बालाजी, एन.–52 जयपुर कोटा रोड बून्दी।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

1. श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मथुरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल, निवासी महावीर नगर अलीगढ उनियारा जिला टोंक हाल निवास गेट नम्बर तीन के पास

नवजीवन कॉलोनी बून्दी हाल कनिष्ट अभियन्ता नमाना कार्यालय सहायक अभियंता ए–2 जे0वी0वी0एन0एल0 बून्दी ग्रामीण राजस्थान।

2. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामदयाल जाति तेली उम्र 34 साल,निवासी रायता थाना सदर जिला बून्दी।

8.परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारणः– शून्य

9.चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

10.चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य....20,000/–रू. रिश्वत राशि

11.पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...............................

12.विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें):–

महोदय, हालात इस प्रकार है कि– दिनांक 17.02 .2022 समय 01:00 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को जरिये मोबाईल 7689905823 श्री बनवारी लाल ने सूचना दी कि बिजली विभाग, नमाना का जेईएन राजेन्द्र कुमार मीणा तथा ठेकादार कन्हैयालाल मेरी रामगंजबालाजी जयपुर कोटा रोड बूंदी पर स्थित वेलकम होटल के पीछे निकली हुई 11 के.वी. लाईन को शिफ्ट करने के लिए 30,000 रूपये की रिश्वत मांग रहे हैं तथा आज ही उन्होने मेरी होटल पर आने के लिए कहा हैं, मैं भ्र.नि. ब्यूरो कोटा कार्यालय में शिकायत देने के लिए उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, मै नमाना का जेईएन राजेन्द्र कुमार मीणा तथा ठेकादार कन्हैयालाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 को अपने कक्ष में बुलाकर समस्त हालात बताये तथा कार्यालय के मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की सुपुर्दगी बनाकर रिश्वत का मांग सत्यापन करवाने के लिए परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर उससें सम्पर्क कर परिवादी सें शिकायत प्राप्त करने तथा मांग सत्यापन करवाने के लिए डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर देकर रामगंजबालाजी, जयपुर कोटा रोड बूंदी रवाना किया वापसी पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं परिवादी श्री बनवारी लाल की शिकायती पत्र के कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि परिवादी सें मोबाईल वार्ता कर मैं यंहा सें रवाना होकर रामगंजबालाजी होटल वेलकम गया जंहा होटल वेलकम का मालिक श्री बनवारी लाल मुझे मिला तथा उसने एक स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझे दिया तथा कहा की मेरी जेईएन राजेन्द्र कुमार मीणा जी व श्री कन्हैयालाल सें पृथक–पृथक मोबाईल पर वार्ता हुई हैं उन्होने मेरी होटल पर आने के लिए कहा हैं तथा वो दोनों मुझ सें यंही पर रिश्वत की बात करेंगे इस पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की विधी समझाकर सुपुर्द किया था, स्वयं होटल के अन्य कमरे में जाकर बैठ गया तथा समय करीबन 4.25 पी.एम. पर कन्हैयालाल अपनी मोटर साईकिल सें होटल पर आया, जिस पर परिवादी होटल के कमरे में जहां मैं बैठा हुआ था आया तथा बताया कि जेईएन राजेन्द्र मीणा तो नहीं आया किन्तु कन्हैयालाल आया हैं, जो मुझे साथ चलने के लिए कह रहा हैं, मै उसको चाय पीने के लिए बोलकर आपके पास आया हूं। इस पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर उसके साथ जाने के लिए कहा। परिवादी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालुकर कन्हैयालाल के साथ स्वयं की कार सें रवाना हुआ तथा पीछे–पीछे में भी अपनी गाडी सें रवाना हुआ, होटल वेलकम सें रवाना होकर परिवादी कार्यालय विद्युत वितरण निगम, ग्रामीण सैकण्ड, नैनवा रोड बून्दी पहुंचा तथा परिवादी को गाडी में ही छोडकर कन्हैयालाल कार्यालय के अन्दर गया तथा कुछ समय बाद वापस आया तथा परिवादी की गाडी वापिस रवाना हुई, तो मैं भी उनकी गाडी का पीछा करता हुआ वापिस होटल आ गया। परिवादी ने बताया कि कन्हैयालाल अभी–अभी यंहा सें अपनी मोटर साईकिल सें रवाना हुआ हैं, वो मुझे जेईएन राजेन्द्र कुमार मीणा को रिश्वत की रकम दिलाने के लिए नैनवां रोड के बिजली

कार्यालय में लेकर गया था तथा उसने मुझ सें कहा की कितने लाये हो तो मैने कहा की अभी तो 10,000 रूपये ही लाया हूं फिर आप देख लेना आपके हिसाब सें इसके बाद वो कार्यालय के अन्दर जाने लगा तो मैने भी साथ जाने के लिए कहा तो उसने कहा की अधिकारी लोग हैं तुम साथ रहोगे तो बात नहीं करेगा जरूरत पडेगी जब में बुला लूंगा। इस पर मैं गाडी में ही बैठा रह गया था कुछ समय बाद कन्हैयालाल वापिस आया तथा कहा कि तुम्हारा काम कल लडके लगवाकर कर दूंगा तथा मैने बाकी बचे हुये 20,000 के लिए पूछा की किसको देने हैं तो कन्हैयालाल ने कहा की वो भी मुझे ही दे देना कल तो मैं बाहर जा रहा हूं तथा परसों तक दे देना इसके बाद उसने ये भी कहा कि ये जईएन मीणा हैं, इसको बहुत सपोर्ट हैं ये डरता भी नहीं हैं पैसे लेने सें अभी जब मैने तुम्हारे 10,000 रूपये दिये तब भी उसने सीट पर बैठे बैठे ने ही गिनकर अपने पास रख लिये।

तत्पश्चात परिवादी की शिकायत का अवलोकन किया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा कानि. नरेन्द्र सिंह को कहे गये कथनों की पुष्टि हुई डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द प्राप्ति बनाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया तथा परिवादी की शिकायत को अग्रिम कार्यवाही के लिए शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दिनांक 20.02.2022 समय 7.00 पी.एम. पर कानि. श्री नरेन्द्र सिह 305 ने बताया कि मेरे पास बनवारी का कॉल आया था तथा उसने कहा कि कन्हैयालाल ने मेरी होटल के पीछे की 11 के.वी. लाईन को शिफ्ट कर दिया हैं तथा वो बचे हुये रिश्वत के 20 हजार रूपये मांग रहा हैं, मैने उसको आज शाम को या कल तक इन्तजाम होने पर रकम देने के लिए कहा हैं इस पर श्री नरेन्द्र कानि. को कहा कि परिवादी को कहो कि कल प्रातः 7.30 एम.एम पर मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि के कार्यालय में उपस्थित आये। .ट्रैप कार्यवाही सुबह होने की सम्भावना होने के कारण भू–प्रबन्धक अधिकारी कोटा सें गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु जरिये मोबाईल वार्ता की जिस पर उन्होने श्री राकेश भारद्वाज एवं श्री दुर्गाशंकर मीणा के नाम तथा मोबाईल नम्बर दिये तथा कहा कि मैने इनको पाबन्द कर दिया हैं ये सुबह 7.30 पी.एम. पर आपके कार्यालय में आ जायेंगे, गवाह उपलब्ध कराने के लिए पत्र पृथक से प्रेषित किया गया। दिनांक 21.02.2022 समय 07:30 ए.एम. पर परिवादी श्री बनवारी लाल एंव स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश भारद्वाज पुत्र श्री स्व. सुरेशचन्द भारद्वाज जाति ब्रहामण उम्र 39 साल निवासी– बी– 59, सुमन विहार थर्ड, बालिता रोड कुन्हाडी हाल वरिष्ठ सहायक– कार्यालय, भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा, श्री दुर्गाशंकर पुत्र श्री धनराज मीणा जाति मीणा उम्र 29 साल निवासी– ए–252, निधी भवन के सामने विज्ञान नगर कोटा हाल कनिष्ठ सहायक– कार्यालय, भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा उपस्थित आये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री बनवारी लाल तथा स्वतंत्र गवाहान सें परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित शिकायत तथा कार्यालय सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 17.02.2022 को परिवादी एवं आरोपी कन्हैयालाल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हैं को निकालकर सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। इस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री बनवारी लाल को अपने कक्ष में लाया तथा परिवादी द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की गई शिकायत का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित होना होना बताया जो इस आशय का है कि " मैं बनवारी शेखर पुत्र श्री मांगीलाल जाति बैरवा उम्र 30 साल निवासी– झुबॅासा हाल निवासी– होटल वेलकम, रामगंज बालाजी एन.एच.–52 पर होटल खोल रखा हैं मैने होटल खोलने के लिए रामंगज बालाजी में प्लॉट लिया था तब प्लॉट के एक हिस्से में 11000 K.V. की लाईन निकल रही थी उसको हटाने के लिए विधूत विभाग में प्रार्थना पत्र दिया। उस समय विधूत ग्रेड पर श्री मूकेश जी जेईन साहब लगे हूऐ थे। उनसें बात करने पर उन्होने कहा कि डिमाण्ड जमा करा दो। तुम्हारी लाईन हटवा देंगे। इसके बाद मेने डिमाण्ड ड्राप्ट नं. 943009 सें 23551 रूपये का डिमाण्ड एईएन. (A- II) बून्दी के नाम जमा करवा दिया था। इसके कई दिनों बाद विधूत विभाग सें ठेकेदार के लडके व ठेकेदार ट्रेक्टर व पोल लेकर आया और उसको मेरे प्लोट के पास में ही लगा दिया। इस पर मेने जे.ई.एन. मूकेश जी को कहा कि इन्होने तो पोल प्लॉट सें पूर्णतया नहीं हटाया तथा उस लाईन के तार मेरे प्लोट सें गुजरते हुए रहने दिया। इस पर जे.ई.एन.साहब ने कहा कि अभी तो जंहा लग गया वंहा ठीक हैं जब प्लोट के पिछे

के हिस्से पर निर्माण करवाओ तब मूझे बता देना इस पोल को हटवा कर तुम्हारे प्लोट सें दूर लगवा देंगे। इसके कई दिनों बाद मेने मूकेश जी को पोल हटवाने के लिए कहा तो उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया फिर उनका ट्रांसफर हो गया। जिसके बाद मैने पोल हटवाने के लिए नये जे.ई. एन श्री आदरणीय राजेन्द्र जी मीणा को कहा क्योंकि मरे प्लोट पर निर्माण कार्य चालु करवा दिया था। तो एक दिन श्री राजेन्द्र मीणा जे.ई.एन व कन्हैयालाल राठोर ठेकेदार मेरी होटल पर आये तथा मूझसें पोल हटाने की एवज में 30,000 (तीस हाजर) रूपये मांगे मेने उनको इस पोल हटवाने बाबत पूर्व में जमा हुऐ डिमांड के लिए कहा तो जे.ई.एन साहब ने कहा कि वो तो पहले हो गया उसको भूल जाओ। अब अगर पोल हटवाना हैं तो फिर सें डिमाण्ड भरना पडेगा जो मे ही निकालुंगा। तथा डिमाण्ड जमा करा कर पोल हटवाओगे तो बहूत ज्यादा ज्यादा खर्चा आ जाऐगा। इसलिए 30,000/– रूपये देकर अपना काम करवा लो। मे अपने जायज काम के बदले में जे.ई. एन राजेन्द्र जी मीणा एवं कन्हैया लाल ठेकेदार को रिश्वत के 30,000/– नहीं देना चाहता हूं। तथा उनको रिश्वत लेते हूऐ रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। उनसें मेरी कोई पूरानी रंजिश नहीं हैं। ना ही को लेनदेन बकाया हैं। मेने जे.ई.एन साहब व कन्हैयालाल सें फोन पर भी बात की थी जिसमें भी कन्हैयालाल द्वारा मूझसें जे.ई.एन साहब के लिए 30,000/– रूपयों की मांग की हैं। जिसकी ऑडियो रिकार्डिंग मे आपको पृथक सें पेश कर दूंगा। आवश्यक कार्यवाही हेतू रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है। प्रार्थी बनवारी लाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति बैरवा उम्र 30 वर्ष निवासी– झुंवासा हाल निवास– होटल वेलकम, रामगंज बालाजी एन.एच.–52 कोटा जयपुर रोड, बून्दी Mob- 9950681599 दिनांक 17/2/22/

तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता सें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। कार्यालय में उपस्थित दोनों सरकारी स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी व आरोपी कन्हैयालाल के मध्य दिनांक 17.02.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। तत्श्चात परिवादी द्वारा अपने मोबाईल में श्री कन्हैयालाल एवं श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सें हुई रिकॉर्ड वार्ताओं को मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया, जिनको कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप मे सेव की गई तथा लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ताओं को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। परिवादी श्री बनवारी लाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति बैरवा उम्र 30 साल निवासी ग्राम झुंवासा तहसील के0पाटन थाना गेण्डोली जिला बून्दी हाल निवास होटल वेलकम रामगंज बालाजी एन0एच0 52 कोटा जयपुर रोड बून्दी ने आरोपी श्री राजेन्द्र मीणा कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20000/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये। श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री बनवारीलाल की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राकेश भारद्वाज से लिवाई गई। परिवादी श्री बनवारी लाल के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये बीस हजार रूपये परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली

राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय मे ही छोडा गया श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी।ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री बनवारी लाल को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी। फर्द दृष्टान्त नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।परिवादी बनवारी लाल अपनी स्वयं की कार तथा प्राईवेट वाहन कार से तथा मन पुलिस निरीक्षक मय श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री मुकेश कानि0 71, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304, श्री भरत सिंह कानि. 515 मय स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश भारद्वाज एंव श्री दुर्गाशंकर मय लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के तथा इमदाद हेतु श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक मय श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक एंव श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के अन्य प्राईवेट वाहन सें ट्रेप कार्यवाही हेतु होटल वेलकम, रामगंज बालाजी जिला बून्दी के लिये रवाना हुआ। श्री सरोज महिला कानि0104 को कार्यालय में ही छोड़ा गया। परिवादी बनवारी लाल एवं मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के तथा इमदाद हेतु श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अन्य प्राईवेट वाहन सें रवानाशुदा होटल वेलकम, रामगंज बालाजी जिला बून्दी पहुंचे। कुछ समय इन्तजार करने के बाद परिवादी ने कन्हैयालाल सें मोबाईल पर वार्ता की तो उसने कहा कि होटल पर आ जाऊंगा या तुम बाहर जाओ तो किसी को दे जाना मैं आकर ले लूंगा। तत्पश्चात अपने वाहन की उपस्थिती छिपाते हुये होटल वेलकम के ऊपरी तल पर मय जाब्ता स्वतंत्र गवाहान के मुकिम हुआ तथा श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को मय श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक एंव श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के अन्य प्राईवेट वाहन सें जाब्ते के होटल वेलकम सें अन्यत्र बूंदी की तरफ रूकने के लिए कहकर रवाना किया। समय 4.17 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष श्री नरेन्द्र सिह के मोबाईल पर जरिये वाट्सएप मैसेज कर आरोपी द्वारा रिश्वती राशी प्राप्ति का इशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री राकेश भारद्वाज श्री दुर्गाशंकर ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री भरत सिह कानि. नं. 515, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304 श्री मुकेश सैनी, कानि. नं. 71, के पैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने अपने पास खडे हुये व्यक्ति की ओर इशारा कर कहा कि ये ही कन्हैयालाल जी हैं जिन्होने अभी थोडी देर पहले मुझसें मेरी होटल के पीछे निकली हुई 11 के.वी. लाईन को शिफ्ट करने की एवज में शेष रहे 20,000 प्राप्त कर अपनी पेन्ट की जेब में रखे है।

इस परपरिवादी के बताये हुये व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री कन्हैयालाल राठौर पुत्र श्री रामदयाल राठौर जाति तेली उम्र 34 साल निवासी-- रायता थाना सदर जिला बून्दी बताया श्री कन्हैयालाल राठौर ने बताया कि मैने जेईएन साहब सें इनकी लाईन शिफ्टींग के लिए पूछा था तो उन्होने कहा था कि फिर सें डिमाण्ड निकालकर लाईन शिफ्टींग करेंगे तो उसके बहुत ज्यादा खर्चा आयेगा इसलिए बनवारी सें तुम 30,000 रूपये ले लेना तथा ऐसे ही इसकी लाईन शिफ्ट कर देना इसलिए मैने बनवारी सें 30,000 देकर लाईन शिफ्ट कराने के लिए कहा था जिस पर 10,000 रूपये तो मैने कार्यालय सहायक अभियंता, ग्रामीण सैकण्ड, नैनवा रोड पर परिवादी सें लेकर श्री राजेन्द्र कुमार मीणा जेईएन साहब को दे दिये थे तथा शेष रहे 20,000 रूपयों के लिए राजेन्द्र कुमार मीणा ने बनवारी सें लेकर उनको देने के लिए कहा था जिस पर आज मैंने बनवारी सें 20,000 रूपये आज लिये हैं। इसकी पूरी जानकारी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा जे.ई.एन. साहब को हैं तथा मैं उनसें बनवारी सें लिये गये 20,000 रूपयों बाबत बात कर सकता हूं, इस पर कन्हैयालाल ने अपने मोबाईल नम्बर--8209464606 सें स्पीकर ऑन कर श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के मोबाईल नम्बर 9413390833 पर समय 4.58 पी.एम. पर कॉल किया तथा

उससें दोनों के कार्य के संबन्ध में वार्ता की तथा फिर वार्ता में बनवारी सें पेमेन्ट प्राप्त करने तथा कन्हैयालाल द्वारा माटुन्दा गांव में पोल लगाने के बकाया पेमेन्ट के लिए पेमेन्ट लाने के लिए कहा जिस पर कन्हैयालाल द्वारा बनवारी सें लिये गये रूपयों में सें अपना पेमेन्ट काटने के लिए कहा तो श्री राजेन्द्र कुमार मीणा ने बनवारी सें लिये गये पेमेन्ट में सें काट लेने के लिए सहमति दी तथा फिर कहा ऑफीस में आ जाना आगे की बातें यंही करेंगे। इसके बाद पुनः राजेन्द्र कुमार मीणा को श्री कन्हैयालाल के मोबाईल पर कॉल आया तथा वार्ता में राजेन्द्र कुमार मीणा ने इनके कार्य के संबन्ध में वार्ता की उक्त वार्ताओं को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया हैं जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक सें बनाई जावेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल सें ली गई रिश्वत राशी कन्हैयालाल द्वारा प्राप्त करने के लिए सहमत होने सें आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को कार्यालय सहायक अभियंता, ग्रामीण सैकण्ड, नैनवा रोड सें डिटेन कर लाने हेतु अन्य टीम प्रभारी श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया।

परिवादी के कहेनुसार श्री कन्हैयालाल ने परिवादी सें 20,000 रूपये अपने हाथ सें लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे हैं, अतः आरोपी श्री कन्हैयालाल की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की। होटल के कमरे में रखी हुई पानी की बोतल सें पानी लेकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी कन्हैयालाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया।

श्री कन्हैयालाल के बायें व दाहिने हाथ का धोवन गुलाबी आया हैं अतः स्वतंत्र गवाह श्री दुर्गाशंकर सें श्री कन्हैयालाल की तलाशी लिवाई तो श्री कन्हैयालाल के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह सें गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये हैं, जिनके नम्बरों का मिलान गवाहान सें फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं–

क्र0स0	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9HF 642783
2.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2FV 357539
3.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3NM 883866
4.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2EF 033936
5.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2BQ 300581
6.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9SB 246424
7.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6MF 447870
8.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5UE 419470
9.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8QL 461131
10.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4HW 460472
11.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4PQ 778575
12.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1RT 821510
13.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1EV 075577
14.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3LC 976912
15.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6TT 527916
16.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0LF 966460
17.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4CB 827950
18.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1ER 482755
19.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3BC 780144
20.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6UF 747510

21.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2RQ 061773
22.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9PQ 974938
23.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5HQ 218322
24.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FA 807027
25.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5UK 249816
26.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9KP 416984
27.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4FT 131072
28.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6UM 269344
29.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0AU 105350
30.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1TT 106910
31.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1DC 840283
32.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6SQ 482059
33.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3LB 454300
34.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0KN 852405
35.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0AD 878040
36.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2BD 410214
37.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7AQ 742882
38.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9HT 906184
39.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7DC 457852
40.		पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7GW 740987

उक्त नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा आरोपी की जामा तलाशी में अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

इसके पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। श्री कन्हैयालाल सें उसकी पहनी हुई पेन्ट उतरवाकर दूसरी पेन्ट पहनने को दी गई तथा उतरवाई हुई पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटवाकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया तथा पेन्ट को सुखाकर पेन्ट की जेब पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क P अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी एंव आरोपी कन्हैयालाल द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रासंक्रिप्ट पृथक सें तैयार की जावेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखा गया।

तत्पश्चात श्री अजीत बगडोलिया पु.नि. मय हमराहियान मय श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता के आये इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने राजेन्द्र कुमार मीणा सें उसका पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मथुरालाल मीणा उम्र 33 साल निवासी– महावीर नगर अली गढ उनियारा जिला टोंक हाल निवास– गेट नम्बर तीन के पास नव जीवन कोलोनी, बून्दी हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, नमाना जिला बून्दी बताया। श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सें परिवादी बनवारी सें दिनांक 17.02.2022 को जरिये कन्हैयालाल से लिये गये 10,000 रूपयों तथा परिवादी की होटल के पीछे सें हटाई गई 11 के.वी. लाईन के लिए पूछा तो बताया कि इस बाबत मुझे ज्यादा जानकारी नहीं किन्तु एक दिन कन्हैयालाल ने कहा था कि मेरा मित्र बनवारी लाल हैं जिसकी वेलकम होटल के पीछे 11 के.वी. लाईन निकली हुई हैं जिसके लिए पूर्व में डिमाण्ड जमा हो चुका था किन्तु उस समय वो लाईन पूर्णतया शिफ्ट नहीं हुई थी तो मैने कन्हैयालाल को कहा था कि तुम्हारे हिसाब सें लाईन को सही कर देना तथा दिनांक 17.02.2022 को कन्हैयालाल द्वारा दिये गये 10,000 रूपयों बाबत बताया कि कन्हैयालाल ने उस दिन मुझे कोई रूपये नहीं दिये तथा आज भी इसका मेरी तरफ पेमेन्ट बकाया था उसके लिए मैने कहा था तेरा पेमेन्ट ले जाना किन्तु इसने बनवारी का नाम लेकर पेमेन्ट लेने के लिए कहा जो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तथा कोई दुसरा व्यक्ति मेरे सें बात कर रहा था इसलिए

कन्हैयालाल को मैने ओर कुछ कहा हो तो उसकी मुझे याद नहीं है। मैने बनवारी सें लाईन शिफ्टींग के लिए कोई रूपयों की डिमाण्ड नहीं की तथा ना ही कोई रिश्वत ली है।

इस पर श्री कन्हैयालाल ने श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये राजेन्द्र कुमार मीणा, जे.ई.एन. साहब झूंठ बोल रहे हैं मैने इनको बनवारी के कार्य व उससें लिये जाने वाले 30,000 रूपयों बाबत सब बता दिया था तथा दिनांक 17.02.2022 को भी मैंने इनसें बात की थी तथा इसके बाद मैं यंहा आया तथा यंहा सें बनवारी को साथ में लेकर कार्यालय सहायक अभियंता, ग्रामीण सैकण्ड, नैनवां रोड बून्दी में इनके पास गया था जंहा मैने बनवारी सें 10,000 रूपये लेकर इनको कार्यालय में अन्दर जाकर दिये थे तथा इनको बताया था कि बनवारी के पोल शिफ्टींग के 10,000 रूपये ये आ गये तथा शेष वो बाद में देगा जिस पर इन्होने 10,000 रूपये गिनकर अपने पास रख लिये थे तथा इसके बाद लाईन शिफ्ट होने के बाद सें ही मुझ पर 20,000 रूपये ओर देने के लिए दबाव बना रहे थे जिस पर मैने बनवारी को कई बार फोन भी किये थे तथा आज बनवारी ने मुझे बचे हुये 20,000 रूपये देने के लिए यंहा बुलाया था।

श्री राजेन्द्र कुमार मीणा एवं श्री कन्हैयालाल के मोबाईल सें परिवादी सें हुई रिश्वत लेनदेन के संबध में वार्ता हुई हैं अतः आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा के मोबाईल Vivo 1609, Color-Goldan, First IMEi No.864165030949958 Sim No.-1, 94133908033 And Second Imei No.864165030949941 Sim No.- NIL तथा आरोपी श्री कन्हैया लाल के मोबाई Real Me 7, Color-Grey, First IMEi No.869945059240313 Sim No.-1, 8209464606 And Second Imei No.869945059240305 Sim No.- 9166887317 को बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में पृथक– पृथक रखकर सील्ड मोहर कर राजेन्द्र कुमार मीणा के मोबाईल को मार्क RM तथा कन्हैयालाल के मोबाईल को मार्क KM अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

इसके बाद आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दुर्गाशंकर सें लिवाई गई तो कोई अपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई।

परिवादी के कार्य 11 के.वी. लाईन के पोल शिफ्टिंग के लिए पूर्व में जमा हुये डिमाण्ड आदि सें संबन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो. कोटा में प्रेषित करने हेतु सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल ग्रामीण सैकण्ड, नैनवां रोड बून्दी को एक तहरीर जारी की गई। फर्द बरामदगी नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी की निशांदेही से ट्रेप कार्यवाही स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी कन्हैयालाल एवं आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा की वार्ता का एफ.एस.एल. जयपुर सें परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर नमुना आवाज नहीं देने बात नोट अंकित किया। मूल नोटिस शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड रिश्वत लेनदेन के वक्त परिवादी व आरोपी कन्हैयालाल के मध्य दिनांक 21.02.2022 को हुई वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता मे परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री कन्हैयालाल की होना पहचान की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में आरोपी कन्हैयालाल द्वारा अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सें वार्ता की गई थी को रिकॉर्ड किया गया था। दोनों के मध्य दिनांक 21.02.2022 को हुई वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता मे कन्हैयालाल ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की होना पहचान की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। श्री राजेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आरोपी श्री कन्हैयालाल के मोबाईल पर कॉल किया गया जिसको आरोपी कन्हैयालाल द्वारा अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सुना गया को रिकॉर्ड किया गया था। दोनों के मध्य दिनांक 21.02.2022 को हुई वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द

ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी कन्हैयालाल व परिवादी सें दिनांक 17.02.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 21.02.2022 को रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता तथा मोबाईल पर हुई वार्तायें जिन्हे परिवादी द्वारा अपने मोबाईल में रिकॉर्ड किया गया था तथा आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा व परिवादी के मध्य दिनांक 17.02.2022 को परिवादी सें मोबाईल पर हुई वार्ता जिसें परिवादी द्वारा अपने मोबाईल में रिकॉर्ड किया गया था तथा दिनांक 21.02.2022 को आरोपी कन्हैयालाल व आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ताओं को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं परिवादी के मोबाईल सें जरिये कार्यालय के लेपटोप के कानि. श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा पांच सी.डी. राईट बर्न कर पांच सी.ढी.डब करवाई गई। जिसमें सें एक सी.डी. न्यायालय के लिए एक सी.डी. नमुना आवाज के लिए, दो सी.डी. आरोपीगणों के लिए पृथक–पृथक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे में रखवाई गई। सील मोहर की गई कपडे की थेलियों पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

इस समय उपरोक्त साक्षीगण के समक्ष आरोपीगण श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामदयाल जाति तेली उम्र 34 साल,निवासी रायता थाना सदर जिला बून्दी तथा श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मथुरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल, निवासी महावीर नगर अलीगढ उनियारा जिला टोंक हाल निवास गेट नम्बर तीन के पास नवजीवन कॉलोनी बून्दी हाल कनिष्ट अभियन्ता नमाना कार्यालय सहायक अभियंता ए–2 जे0वी0वी0एन0एल0 बून्दी ग्रामीण राजस्थान का कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एंव 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार पृथक से दी गयी।

तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान राजेन्द्र कुमार मीणा एवं कन्हैयालाल के ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टीकल मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के होटल वेलकम, रामगंजमण्डी बून्दी सें कोटा के लिए प्राईवेट वाहन सें रवाना हुये तथा परिवादी श्री बनवारी लाल को होटल पर ही छोडा। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान राजेन्द्र कुमार मीणा एवं कन्हैयालाल के ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टीकल मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के होटल वेलकम, रामगंजमण्डी बून्दी सें प्राईवेट वाहन सें रवाना होकर मुल्जिमान का जरिये तहरीर ड्यूटि ऑफीसर सें मेडीकल करवाया गया तत्पश्चात भ्र.नि.ब्यूरो में हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण जरिये तहरीर मुल्जिमान राजेन्द्र कुमार मीणा एवं श्री कन्हैयालाल को थाना नयापुरा में जमा हवालात किया गया प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टीकल मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के चौकी भ्र.नि.ब्यूरो पहुचें तथा जब्तशुदा आर्टीकल – आरोपी श्री कन्हैयालाल की पेन्ट सें बरामद 20,000 रूपये, हाथों के धोवन की शीशियां, पेन्ट की जेब का धोवन, पेन्ट का पेकीट, दोनों आरोपीगणों के मोबाईल, व पाचं सी.डी. को जमा मालखाना करवाया गया तथा गवाहान व जाब्ते को रूखसत किया गया।

अब तक की समस्त कार्यवाही सें पाया गया है कि परिवादी श्री बनवारी लाल पुत्र मांग लाल जाति बैरवा उम्र 30 साल निवासी– झुंवासा हाल होटल वेलकम, रामगंज बालाजी बून्दी सें आरोपी श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामदयाल जाति तेली उम्र 34 साल,निवासी रायता थाना सदर जिला बून्दी तथा आरोपी राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मथुरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल, निवासी महावीर नगर अलीगढ उनियारा जिला टोंक हाल निवास गेट नम्बर तीन के पास नवजीवन कॉलोनी बून्दी हाल कनिष्ट अभियन्ता नमाना कार्यालय सहायक अभियंता ए–2 जे0वी0वि0एन0एल0 बून्दी ग्रामीण राजस्थान ने परिवादी श्री बनवारी लाल की होटल के पीछे निकली हुई 11 के.वी. लाईन को शिफ्ट करने की एवज में उसके द्वारा पूर्व में जमा कराये गये डिमाण्ड को सही नहीं मानते हुये नया डिमाण्ड निकालने की धमकी देकर बिना डिमाण्ड के 30,000 रूपयों में लाईन शिफ्टींग के लिए कहने तथा दौराने मांग सत्यापन परिवादी सें कन्हैयालाल द्वारा 10,000 रूपयें प्राप्त कर कनिष्ठ सहायक श्री राजेन्द्र कुमार मीणा को कार्यालय

में जाकर देने तथा शेष रहे 20,000 रूपये राजेन्द्र कुमार मीणा के लिए होटल वेलकम पर आकर परिवादी सें प्राप्त करने, रिश्वती राशि 20,000/– रूपये परिवादी सें प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेंन्ट की दायीं जेब में रखने, उक्त रिश्वती राशि 20,000/रूपये आरोपी श्री कन्हैयालाल की पेन्ट की जेब सें बरामद होने तथा आरोपी कन्हैयालाल के दोनो हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने व पहनी हुई पेन्ट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा कन्हैयालाल द्वारा परिवादी सें लिये गये रिश्वत के 20,000 रूपये प्राप्त करने बाबत मोबाईल पर राजेन्द्र कुमार मीणा सें वार्ता करने पर राजेन्द्र कुमार मीणा द्वारा बनवारी सें पेमेन्ट लेने की सहमति जाहिर करने सें आरोपी श्री कन्हैयालाल का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एंव 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी 1.श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मथुरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल, निवासी महावीर नगर अलीगढ उनियारा जिला टोंक हाल निवास गेट नम्बर तीन के पास नवजीवन कॉलोनी बून्दी हाल कनिष्ट अभियन्ता नमाना कार्यालय सहायक अभियंता ए–2 जे0वी0वी0एन0एल0 बून्दी ग्रामीण राजस्थान, 2.श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामदयाल जाति तेली उम्र 34 साल,निवासी रायता थाना सदर जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 एंव 120 बी, भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(नरेश चौहान)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा ।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता, नमाना, कार्यालय सहायक अभियंता ए-2 जे.वी.वी.एन.एल. बून्दी एवं 2.श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामदयाल निवासी रायता, थाना सदर, जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 59/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कमांक 541-45 दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव प्रशासन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

23.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर